न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 67/2018
दायरी दिनांक 28.08.2018

उनवान

1. बंशीलाल पिता लालूजी जाति ब्राह्मण निवासी जोजवा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. नंदराम पिता शंकरलाल ब्राह्मण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. मांगीबाई बैवा शंकरलाल ब्राह्मण निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ।

––विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री सत्यनारायण जीनगर (अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2)
3. तहसीलदार माण्डलढ़ (विपक्षी संख्या 3)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक 20.12.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा जोजवा पटवार मण्डल जोजवा में स्थित आराजी संख्या 466 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त कृषि भूमि पर आने जाने, सजबेल ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु प्रार्थी ग्राम जोजवा में स्थित सरकारी सैर आराजी संख्या 248 से होते हुए विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 349 के पश्चिमी मेर पर होते हुए आराजी संख्या 349 की दक्षिणी मेर पर होते हुए विपक्षीगण की आराजी संख्या 348 के सहारे सहारे स्थित 15 फीट चौडे रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता कदीमी होकर पिछले 40–50 वर्षो से प्रार्थी अपनी भूमि पर पहुँचने हेतु इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 15.05.2018 को प्रार्थी का पुत्र ट्रैक्टर से अपनी जमीन हंकवाकर उक्त रास्ते से वापस आ रहा था तो विपक्षीगण आडे फिर गये और प्रार्थी के पुत्र को कहने लगे कि अब इस रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी को नहीं करने देंगे। विपक्षीगण ने जानबूझकर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रार्थी को अपनी जमीन पर पहूँचने के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। विपक्षीगण द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर देने के पश्चात् प्रार्थी के पास उपरोक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नहीं रहा है। उक्त रास्ते में विपक्षीगण की जो भूमि आएगी उसका नियमानुसार प्रतिकर प्रार्थी जमा कराने के लिए तैयार है। उपरोक्त वर्णित रास्ते को रिकॉर्ड एवं नक्शे में सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी की ग्राम जोजवा पटवार मण्डल जोजवा में स्थित आराजी संख्या 466 पर आने जाने सजबैल ट्रैक्टर लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण की ग्राम जोजवा में स्थित आराजी संख्या 349 की पश्चिमी मेर पर एवं आराजी संख्या 349 के दक्षिणी मेर पर स्थित गै0मु0खड्डा आराजी संख्या 348 के सहारे सहारे 15 फीट चौडा रास्ता घोषित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भिजवाया जाकर करवायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण जीनगर द्वारा दिनांक 19.11.2018 को अधिकार पत्र और जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम जोजवा में स्थित स्वयं की आराजी संख्या 466 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में आने जाने, सजबैल लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी संख्या 349 के पश्चिमी मेर व दक्षिणी मेर पर आराजी संख्या 348 के सहारे सहारे 15 फीट चौडे रास्ते की घोषणा का अनुतोष चाहा है। उक्त रास्ता पिछले 50 वर्षो में कभी भी मौके पर मौजूद नहीं रहा है एवं न ही मौके पर ऐसा रास्ता मौजूद होना सम्भव है क्योकि यदि उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो विपक्षीगण की जमीन आराजी संख्या 349 व 348 दो अलग अलग हिस्से में बंट जायेगी। आराजी संख्या 348 कुआँ है जो रिकॉर्ड में भी कुआँ दर्ज है साथ ही उक्त कुआँ आराजी संख्या 348 व 349 के साथ लगा हुआ है। उक्त दोनों जमीनों के मध्य रास्ता नहीं हो सकता है क्योकि यदि वहां रास्ता दिया जाए तो दोनों जमीनों के दो टुकडे हो जाते है। यदि उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होगी क्योकि दोनों भूमियों की मेड अलग अलग हो जावेगी तथा विपक्षीगण को अपनी जमीन की पशुओं से रक्षा करने हेतु लाखों रूपयों की लागत लगाकर दोनों जमीनों के दीवार करनी पडेगी इसलिए प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता विधि विरूद्ध होकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त आराजी संख्या 349 के दक्षिणी कोने पर आराजी संख्या 348 व 349 के मध्य 15 फीट चौडा बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसे नजरी नक्शे में व जवाब के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ में स्पष्ट दर्शाया गया है। बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर के स्थित रहते वहां पर रास्ता होना एवं दिया जाना सम्भव ही नहीं है तथा आराजी संख्या 349 के पश्चिमी मेड पर बोरिंग लगी हुई है इसलिए वहाँ से भी कोई रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है। विपक्षीगण की जमीन के तीन ओर लोहे की तारबन्दी हो रखी है तथा एक तरफ 25 वर्ष पुरानी 8–10 फीट ऊँची थोर लगी हुई है प्रार्थी का वहा पर कोई पुराना रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी को अपनी जमीन पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है उक्त वैकल्पिक रास्ता सरकारी सैर आराजी संख्या 248 से होता हुआ प्रार्थी के भाई प्रेम जी ब्राह्मण की भूमि आराजी संख्या 464 के उत्तरी मेर पर होते हुए आराजी संख्या 464, 465 की पूर्वी मेर पर होते हुए सीधे प्रार्थी के शामलाती कुएँ पर पहुँचता है तथा उक्त भूमियाँ पूर्व में प्रार्थी एवं उसके भाईयों की शामलाती भूमियाँ थी और प्रार्थी व उसके भाई सभी अपने कुएँ पर पहुँचने के लिए आराजी संख्या 464, 465 पर स्थित उपरोक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वर्तमान में भी प्रार्थी उक्त वैकल्पिक एवं सुविधाजनक वर्षों पुराने रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी को उसकी जमीन पर आने जाने सजबैल लाने ले जाने हेतु वैकल्पिक रास्त उपलब्ध होने से नया रास्ता घोषित किए जाने का प्रावधान नहीं है एवं न ही न्यायसंगत है। प्रार्थी विपक्षीगण को परेशान करना चाहता है तथा प्रार्थी विपक्षीगण की जमीन को दो टुकडो में विभाजित करा नुकसान पहुँचाना चाहता है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होकर खारिज किए जाने योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें।

तहसीलदार माण्डलगढ़ को उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 12.12.2019 को तहसीलदार माण्डलगढ़ की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी जिसमें अवगत करवाया गया कि प्रार्थी ने अपनी स्वयं की ग्राम जोजवा में स्थित आराजी संख्या 466 रकबा 1.14 बीघा में पहुचंने के लिए आराजी संख्या 248 गै.मू. रास्ते में से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 349 की पश्चिमी मेड पर होकर दक्षिण मेड पर होते हुए आराजी संख्या 348 गै.मू. खड्डा में से होकर मांग की गई है, किन्तु उक्त रास्ते की लम्बाई अधिक है तथा रास्ते में आराजी संख्या 348 गै.मू. खड्डा भी आता है तथा आराजी संख्या 349 की पूर्वी मेड पर विपक्षीगण ने ट्यूबवैल खोद रखा है एवं विद्युत ट्रांसफर लगा हुआ होने से रास्ते में अवरोध है। मौके पर भी उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि वादीगण द्वारा कभी भी इस रास्ते का उपयोग नहीं किया गया है तथा उपस्थित मौतबिरानों व प्रार्थी ने बताया कि आराजी संख्या 466 पर पहुंचने के लिए आराजी संख्या 349 की उत्तरी मेड से होकर आराजी संख्या 464 व 465 की पश्चिमी मेड से होकर आराजी संख्या 466 पर आते जाते रहे है तथा यही रास्ता सबसे लघुतम रास्ता है। पूर्व में उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग किया जा रहा था किन्तु अभी 3–4 वर्ष पूर्व उक्त रास्ता बन्द कर दिया है। प्रार्थी की आराजी 466 पर पहुंचने के लिए आराजी संख्या 349 की उत्तरी मेड से होकर आराजी संख्या 464 व 465 की पश्चिमी मेड से रास्ता दिया जाना उचित है क्योकि यही रास्ता प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए लघुतम है व उपरोक्त रास्ते के अतिरिक्त वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान में अन्य खातेदारों की मेड पर आवागमन किया जा रहा है जो मौके पर रास्ता नहीं होकर खेत की मेड से होकर आ–जा रहे है तथा उसकी दूरी भी बहुत अधिक है। उक्त रास्ते के उपयोग में 0.06 बीघा भूमि आवेंगी। इस प्रकार उक्त रास्ते के उपयोग में आराजी संख्या 349 से 0.01 बीघा व आराजी संख्या 464 रकबा 1.07 में से 0.02 बीघा व आराजी संख्या 465 रकबा 1.07 में से 0.03 बीघा कुल 0.06 बीघा भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आएगी। ग्राम जोजवा की डी0एल0सी0 दर 1,36,210 होने से 0.06 बीघा के 40,863/–रूपये नियमानुसार उक्त राशि का दोगुना 81,726/– रूपये की राशि बनती है।

दिनांक 19.12.2019 को पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया गया। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार माण्डगलढ़ की रिपोर्ट दिनांक 12.12.2019 तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस के दौरान वर्णित तथ्यों के मनन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि आराजी संख्या 466 रकबा 1.14 बीघा में पहुँचने के लिए जो रास्ता चाहा गया है वह आराजी संख्या 349 व 348 से होकर जाता है जो कि नन्दराम पुत्र शंकरलाल तथा मांगीबाई पत्नी शंकरलाल के नाम दर्ज है। यह रास्ता आराजी संख्या 349 की उत्तरी पश्चिमी कोने से शुरू होकर आराजी संख्या 349 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे व तत्पश्चात् आराजी संख्या 349 की दक्षिणी मेड से होकर आराजी संख्या 348 से गुजरता है। आराजी संख्या 348 गै.मू. आहताचाह के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आराजी संख्या 349 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर

विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते में दो मुख्य अवरोध है प्रथम आराजी संख्या 348 गै.मू. आहताचाह तथा द्वितीय आराजी संख्या 349 के दक्षिणी पूर्वी कोने में स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर। यदि उक्त प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाता है तो अप्रार्थीगण की कृषि भूमि दो भागों में विभक्त हो जाती है। रास्ते के उत्तर में आराजी संख्या 349 व दक्षिण में आराजी संख्या 348 जो कि गै.मू. आहताचाह है। इस प्रकार रास्ता कायम किए जाने हेतु किसी सद्भावी खातेदार की कृषि भूमि को दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा किया जाता है तो वह विधिपूर्ण एवं न्यायसंगत नहीं होगा। आराजी संख्या 349 के दक्षिणी पूर्वी कोने में विद्युत ट्रांसफार्मर स्थित जो कि रास्ता दिए जाने में अवरोध है अतः उक्त रास्ता कायम किया जाना सम्भव नहीं है। नवीन रास्ता कायम किए जाने हेतु नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ता लघुतम हो। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता लघूतम नहीं है। लघूतम रास्ता आराजी संख्या 349 की उत्तरी पूर्वी मेड से आराजी संख्या 464 एवं 465 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे होकर गुजरता है। चूंकि प्रार्थी द्वारा न तो आराजी संख्या 464 एवं 465 की पश्चिमी मेड से होकर गुजरने वाले सम्भावित रास्ते की कायमी की मांग की गई है व न ही आराजी संख्या 464 एवं 465 के खातेदार को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है अतः वर्तमान में पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित लघूतम रास्ता जो कि आराजी संख्या 464 व 465 से होकर गुजरता है कि कायमी किए जाने हेतु विचारण नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.12.201 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2019.12.20 15:13:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: